राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –95 / 2016 / जोधपुर

मैसर्स चौधरी नमकीन, सरदारपुरा, जोधपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त वार्ड–प्रथम, वृत्त–डी, जोधपुर .....प्रत्यर्थी.

अपील संख्या –96 / 2016 / जोधपुर

मैसर्स चौधरी स्वीट् होम, सरदारपुरा, जोधपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त वार्ड–प्रथम, वृत्त–डी, जोधपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20.10.2016

निर्णय

1. उक्त अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 21 एवं 24 / आरवैट / जेयूबी / 2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.11.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. उक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मासिक करदाता है तथा अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012–13 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के विवरण पत्र VAT-10 क्रमंशः दिनांक 05.04.2013, 05.04.2013, 05.04.2013 तथा 11.09.2013 को बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये देरी से प्रस्तुत किये गये है। जबकि उक्त चारों त्रैमासिक के विवरण पत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः दिनांक 10.09.2012, 30.11.2012, 20.03.2013 तथा 27.05.2013 थी। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.04.2015 द्वारा विवरण पत्रों की देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 19A(1) के तहत् विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारित

लगातार.....2

20/10/16

करते हुए विलम्ब शुल्क 45,600/– रूपये आरोपण हेतु आदेश पारित किये। कर निर्धारण के आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2015 को पारित संयुक्त आदेश पारित किये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.11.2015 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किया कि विवरण पत्रों को देरी से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क का प्रावधान नियम 19A सहपठित धारा 21 व नियम 19(2), 9(3) व 19(10) में उपबन्धित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क का आरोपण बिना अधिकारिता के किया गया है। जिस दिन व्यतिक्रम किया गया है उस दिन के विधिक प्रावधानों के अनुसार ही विलम्ब शुल्क या शास्ति का आरोपण किया जाने योग्य है। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :–

(i) Sibia Healthcare Pvt. Ltd. *V/s* DCIT (2015) 171 TTJ 145 (Amritsar)
(ii) Smt. G. Indhirani *V/s* DCIT-CPC-TDS (2015) 7 SET 137 (Chennai)
(iii) CST *V/s* Sadanand Arya (1979) 43 STC 396 Allahabad High Court
(iv) कमीश्नर ऑफ सेण्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम, मेरठ बनाम दीवान रबर इण्डस्ट्रीज (2015) टैक्समेन डॉट कॉम 338(sc)

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि विवरण पत्रों में पाई गई कमियों यथा विलम्ब शुल्क, ब्याज बावत् निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 24(2) के अनुसरण में कोई नोटिस जारी नही किया गया और यदि जारी किया भी गया तो अपीलार्थी पर उसकी कोई तामिल नहीं करावाई गई। विलम्ब शुल्क आरोपण के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिये प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का भी अनुसरण नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में उक्त अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया कि विवरण पत्रों की देरी की स्थिति में विलम्ब शुल्क के संबंध में धारा 21 व नियम 19(2),19A के प्रावधानों में विलम्ब शुल्क की गणना, अभिनिर्धारण व जमा करवाने की विधिक बाध्यता अपीलार्थी व्यवहारी की होती है। उक्त प्रावधानों के अनुसार विनिश्चित योग्य (Quantifiable) विलम्ब राशि (जिसका दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी भी

20/10/16

लगातार.....3

व्यवसायी पर ही है) जमा करवाये जाने के बाध्यकारी प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012–13 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के विवरण पत्र VAT-10 क्रमंशः दिनांक 05.04.2013, 05.04.2013, 05.04.2013 तथा 11.09.2013 को बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये देरी से प्रस्तुत किये गये है। जबकि उक्त चारों त्रैमासिक के विवरण पत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः दिनांक 10.09.2012, 30.11.2012, 20.03.2013 तथा 27.05.2013 थी। प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने विवरण पत्रों की देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 19A(1) के तहत् विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारित करते हुए विलम्ब शुल्क 45,600/– रूपये आरोपण हेतु आदेश पारित किये तथा उक्त आदेश की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के विवरण पत्र VAT-10 क्रमंशः दिनांक 05.04.2013, 05.04.2013, 05.04.2013 तथा 11.09.2013 को बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये देरी से प्रस्तुत किये गये है। जबकि उक्त चारों त्रैमासिक के विवरण पत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः दिनांक 10.09.2012, 30.11.2012, 20.03.2013 तथा 27.05.2013 थी। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19-A के अधीन 45,600/– रूपये विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया। विलम्ब शुल्क के आरोपण की वैधता के संबंध मे विचार करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम 19(2) के संशोधन से पूर्व एवं दिनांक 14.02.2014 से संशोधित प्रावधान तथा नियम 19A को यहां उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा।

8. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे :–

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).

20/10/16

लगातार.....4

9. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं –

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.

However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.

10. इस सम्बन्ध में अवधि 01-04-2012 से 31-03-2013 तक प्रवर्तनीय राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (VAT) नियम 2006 के नियम 19A का निम्न प्रकार है :–

01-04-2012 to 31-03-2013 (Subs. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012) w.e.f. 01-04-2012

Rule 19A Late Fee - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and

(ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के **मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330** के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो विलम्ब शुल्क के प्रावधान प्रभावी हैं, उस विलम्ब शुल्क के प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क की राशि Quanfify की जावेगी।

20/10/16

लगातार.....5

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर नियम 19A के अनुसार शुल्क अधिरोपित किया गया है न कि शास्ति। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है। अपीलार्थी की ओर से उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते है।

13. इस प्रकार वर्तमान प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के विवरण पत्र VAT-10 क्रमंशः दिनांक 05.04.2013, 05.04.2013, 05.04.2013 तथा 11.09.2013 को बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये देरी से प्रस्तुत किये गये है। जबकि उक्त चारों त्रैमासिक के विवरण पत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः दिनांक 10.09.2012, 30.11.2012, 20.03.2013 तथा 27.05.2013 थी। इस प्रकार उक्त विवरण प्रपत्र क्रमशः 207 दिन, 126 दिन, 16 दिन तथा 107 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। अतः यह निर्विवादित है कि उपरोक्त विवरण पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विहित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये।

14. अतः अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। वर्ष 2012–13 के लिये प्रवर्तनीय नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क 100/–रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 50,000/–तक हो सकेगा तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस 50/– रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 5,000/– हो सकेगा।

15. अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है अतः नियम 19A के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.04.2015 द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में वर्ष 2012–13 की चारों त्रैमास की विलम्ब की अवधि की गणना करते हुए प्रत्येक प्रकरण में 45,600/–रूपये विलम्ब शुल्क का आरोपण करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश

लगातार.....6

20/10/16

दिनांक 19.11.2015 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 28.04.2015 की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश दिनांक 19.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

20/10/16

(राजीव चौधरी)

सदस्य